राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६०९०/२००६

जगदीश बनाम राजस्थान राज्य

**दिनांक:१६.११.२००६**

**माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल**

श्री आर आर बैसला, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री पंकज गुप्ता, अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से
पक्षकारान् व्यक्तिश: उपस्थित।

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-४४८/२००६पुलिस थाना- दौसा अपराध अन्तर्गत धारा- ४९८-ए, ४०६ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

पक्षकारों ने जाहिर किया कि उनके मध्य इस वैवाहिक मामले में राजीनामा हो गया है तथा वे पति-पत्नी, बच्चों सहित साथ रहने के लिए समहत हैं।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी जगदीश की ओर से जाहिर किया गया कि प्रार्थी जगदीश अपनी तनख्वाह में से ३५००/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से ६० पोस्ट डेटेड चैक्स अपनी पत्नी को अदा करेगा, जिसे पत्नी- परिवादिया घर खर्च, किराया व बच्चों के खर्चे के रूप में काम में लेती रहेगी। दोनो पति-पत्नी साथ रहने को सहमत हैं।

उक्त परिस्थितियों में परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता को अभियुक्त-प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी जगदीश पुत्र प्रकाश चन्द निवासी लवाण, तहसील- दौसा को पुलिस थाना- दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-४४८/२००६ में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **१०,०००/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **५,०००/- -- ५,०००/-(पांच-पांच हजार रूपये मात्र )** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

१. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
२. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
३. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।
४. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

**(न्या० जितेन्द्र राय गोयल )**